

मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय

कार्यालय: टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, भूतल, वाएं विंग, श्यामला हिल, भोपाल-462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755-2660461, ई-मेल : afrcmp@gmail.com, बेवसाईट- www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2019/760
प्रति,

दिनांक - 09.05.2019

अध्यक्ष/सचिव/संचालक,
समस्त निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त
व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं, मध्यप्रदेश।

विषय- सत्र 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के ऑनलाईन बेवपोर्टल पर शुल्क विनियमन हेतु जिन संस्थाओं द्वारा शुल्क का पुनरीक्षण नहीं कराया जाकर पूर्व में विनियमन किये गये शुल्क को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया है, इन्हें समिति, सचिवालय के बेवपोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराने से मुक्त करने के संबंध में।

सत्र 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के शुल्क विनियमन हेतु निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने के पश्चात् शुल्क को यथावत रखे जाने पर समिति, सचिवालय के पोर्टल पर अन्य जानकारी नहीं दिये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति की आयोजित बैठक दिनांक 04.05.2019 को व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के अनुरोध को संज्ञान में लिया जाकर निम्न निर्णय लिया गया :-

“The Committee approved to exempt institutions from filling up Online Fee Fixation Proformas who do not desire fee revision and agreed to continue with the existing fees subject to the condition that the institutions will pay the processing fee.”

कृपया तदनुसार प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति की बैठक दिनांक 04.05.2019 को लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही से अवगत होवें।



(डॉ. आलोक चौबे)

सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
दिनांक-

पृ. क्रमांक/सचि./ओएसडी/2019/

प्रतिलिपि-माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



(डॉ. आलोक चौबे)

सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी